संशोधन

संख्याः-19/2021/159/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 28 मई, 2021**

विषयः-कोविड-19 के टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना व उक्त कार्य हेतु पाईपिंग आदि, ऑक्सीजन सिलेन्डर प्रोक्योरमेन्ट तथा सरकारी अस्पतालों एवं राजकीय चिकित्सा महाविधालयों के लिए अतिरिक्त बेड्स की स्थापना एवं अन्य सुविधाओं के क्रय हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-141/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-25.04.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड महामारी के पुन: बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में सम्यक विचारोंपरान्त कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-119/38-9-2020-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-26.03.2020, शासनादेश संख्या-122/38-9-2020-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-31.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-123/38-9-2020-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-07.04.2020 में संशोधित करते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(2) के अनुसार निम्न प्राविधानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया:-

(2) (क) सरकारी अस्पतालों / मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना।

(ख) सरकारी अस्पतालों / मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाइप लाइन / डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की स्थापना।

(ग) ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर का क्रय।

(घ) ऑक्सीजन का क्रय।

(ड़) जनपद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना।

(च) आर0टी0-पी0सी0आर0 जॉच हेतु मशीन व अन्य उपकरण का क्रय।

2- उक्त प्रस्तर-2 (ग), (घ), (ड़), (च) के सम्बन्ध में कतिपय जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम मे शासनादेश संख्या-16/2021/150/38-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1 दिनांक 28 अप्रैल,2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त व्यवस्था मात्र सरकारी अस्पतालों / राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी मेडिकल कालेज)/बी0एच0यू0/ए0एम0यू0 के लिए ही है। निजी अस्पतालों/ निजी चिकित्सा संस्थानों / निजी मेडिकल कालेजों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

3- तत्क्रम में शासनादेश संख्या-17/2021/152/अड़तीय7-2021-500(39)/2013टी0सी0-1 दिनांक-06.05.2021 द्वारा उक्त् व्यवस्था सरकारी अस्पतालों / राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी मेडिकल कालेज)/बी0एच0यू0/ए0एम0यू0 के साथ-साथ भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषद

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चिकित्सालयों के लिए भी अनुमन्य की गयी है।

4- प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त् व्यवस्था प्रदेश के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पतालों के लिए भी निम्नानुसार शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य की जाती है:-

(1)- जनपद में संस्था द्वारा संचालित अस्पताल का पंजीकरण कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और उसकी छवि साफ-सुथरी एव अच्छी हो।

(2)- ऐसे अस्पतालों में कम से कम 50 बेड हों जिसमें से 06 बेड्स पर ऑक्सीजन प्लान्ट्स एवं ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सहित पूरे से आईसीयू संचालित हो।

(3)- इन सेवा संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों/परिसम्पत्ति का उपयोग रोगियों के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।

(4)- उक्त संस्था को आयकर विभाग द्वारा 80-जी के अन्तर्गत आयकर में छूट अनुमन्य हो।

(5)- उक्त उपकरणों/परिसम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का विक्रय/हस्तांतरण/निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(6)- इन सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव लाभार्थी संगठन को सुनिश्चित करना होगा तथा उपकरणों एवं परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा परिचालन आदि पर होने वाला समस्त आवर्तक व्यय संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा इसका सामयिक सम्प्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा। उपकरण/परिसम्पत्ति प्राप्ति करने से पूर्व संस्था यह प्रमाणित करेगी कि संस्था उक्त व्यय वहन करने की क्षमता रखती है।

(7)- लाभार्थी संगठन द्वारा नियमित रुप से मुख्य विकास अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट एवं उसका (ऑडिट एकाउन्ट) परीक्षित लेखा उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)- उक्त उपकरणों/परिसम्पत्तियों को मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय (प्रिंसपल, मेडिकल कालेज) द्वारा खरीदकर चैरिटेबल/ट्रस्ट अस्पताल को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9)- उपकरणों/परिसम्पति पर उपभोक्ता के लिए सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएंगी। यदि अपरिहार्य कारणों से सशुल्क होना है, तो शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी स्तर से कराया जायेगा।

(10)- विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व संस्था/लाभार्थी संगठन को मुख्य विकास अधिकारी के साथ उपरोक्त शर्तों को मानने के लिए अग्रिम में एक औपचारिक अनुबन्ध अवश्य करना होगा।

(11)- अन्य शर्ते विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार यथावत लागू रहेगी।

5- उक्त व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक के लिए ही होगी।

6- तद्नुसार सम्बन्धित शासनादेश संख्या-141/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, दिनांक-25.04.2021, संख्या-16/2021/150/38-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 एवं शासनादेश संख्या-17/2021/152/अड़तीय7-2021-500(39)/2013टी0सी0-1 दिनांक-06.05.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-19/2021/159(1)/अड़तीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1, तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।